District: Dindori

(3)

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-8-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

जिला : डिण्डोरी तहसील : डिण्डोरी अधिकार अभिलेख तैयार ग्राम का नाम एवं क्र. करने के लिए प्राधिकृत प.ह.नं. अधिकारी का नाम (3) (1)(2) अधीक्षक, भू-अभिलेख 1. 1. मूल ग्राम-मोहतरा नवीन ग्राम—चुनपथरी (नियमित), जिला-डिण्डोरी. प.ह.नं. 202.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-8-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-8-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-8-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the

Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

S. No. Name of original Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

 $(1) \qquad (2)$

Tahsil: Dindori

Org. Vill.—Mohttra
 New Vill.—Chunpathri
 P.H.No.—202.
 Superintendent of Land Records (permanent),
District—Dindori.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-10-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

जिला : मंदसौर तहसील : मंदसौर अधिकार अभिलेख तैयार ग्राम का नाम एवं क्र. करने के लिए प्राधिकृत प.ह.नं. अधिकारी का नाम (1) (2) (3) अधीक्षक, भू-अभिलेख 1. मूल ग्राम—डिंगावखुर्द 2. नवीन ग्राम—गांधी ग्राम (नियमित). जिला मन्दसौर. प.ह.नं. 28.

- 2. 1. मूल ग्राम—गुजरदा
 - नवीन ग्राम—बुलगढी
 प.ह.नं. 07.
- मूल ग्राम—धारिया खेड़ी
 नवीन ग्राम—गुड़भेली
 प.ह.नं. 09.
- 1. मूल ग्राम—डिगांवमाली
 2. नवीन ग्राम—बरिडया खेड़ी
 प.ह.नं. 48.

16.

(1) (2) तहसील : सीतामऊ

- मूल ग्राम—भगोर
 नवीन ग्राम—कल्याणपुर,
 प.ह.नं. 31.
- 1. मूल ग्राम—रहीमगढ़
 2. नवीन ग्राम—चाहखेड़ी
 प.ह.नं. 41.
- 1. मूल ग्राम—खेताखेड़ा
 2. नवीन ग्राम—रायखेड़ा
 प.ह.नं. 26.
- मूल ग्राम—चिकला
 नवीन ग्राम—मामादेव
 प.ह.नं. 32.
- मूल ग्राम—खनुखेड़ी
 नवीन ग्राम—नयाखेड़ा
 प.ह.नं. 76.

तहसील : दलौदा

1. मूल ग्राम—चोसला
 2. नवीन ग्राम—रामनगर
 प.ह.नं. 24.

तहसील : सुवासरा

11. 1. मूल ग्राम—बसई
 2. नवीन ग्राम—आसपुरा
 3. नवीन ग्राम—खङ्धामनिया

4. नवीन ग्राम—हरिपुरा प.ह.नं. 01.

तहसील : भानपुरा

12. 1. मूल ग्राम—अन्तरालिया 2. नवीन ग्राम—गणेशपुरा प.इ.नं. 18.

- 13. 1. मूल ग्राम—कैथुली 2. नवीन ग्राम—भीमपुरा प.ह.नं. 47.
- 14. 1. मूल ग्राम—रतनपुरा
 2. नवीन ग्राम—नयागांव
 प.ह.नं. 30.

तहसील : मल्हारगढ

15. 1. मूल ग्राम—झार्डा
 2. नवीन ग्राम—चंदनखेड़ा
 प.ह.नं. 08.

(3)

जिला : मंदसौर

अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मन्दसौर.

जिला : मंदसौर

अधीक्षक, भू–अभिलेख (नियमित), जिला–मंदसौर.

जिला : मंदसौर

अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मंदसौर.

जिला : मंदसौर

अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मंदसौर.

अधीक्षक, भू–अभिलेख (नियमित) जिला–मंदसौर. $(1) \qquad (2)$

1. मूल ग्राम—अडमालिया

2. नवीन ग्राम—लोड़ाखेड़ा प.ह.नं. 53. (3)

अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित) जिला-मंदसौर

तहसील : शामगढ़

17. 1. मूल ग्राम—बधुनिया

2. नवीन ग्राम—सुरावत का खेड़ा प.ह.नं. 33. जिला : मंदसौर

अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मंदसौर.

अशोक गप्ता, अपर सचिव.

.ह.न. *55.* मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-10-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-10-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

> > Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-10-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil: Mandsaur

District : Mandsaur

S. No. Name of original Designation of the Officer village authorized to prepare record of rights

 $(1) \qquad (2)$

1. 1. Org. Vill.—Degawave-khurd

Superintendent of Land Records (Regular),

(3)

2. New Vill.—Gandhi Gram District—Mandsaur. P.H.No.—28.

- 2. 1. Org. Vill.—Gujarda
 - 2. New Vill.—Bulgari P.H.No.—07.

जिला : मंदसौर

1. मूल ग्राम—गुरीखा

प.ह.नं. 25.

2. नवीन ग्राम—लटकनपुरा

14. 1. Org. Vill.—Ratanpura

P.H.No.—30.

2. New Vill.—Nayagaon

माग ।		मध्यप्रदर्श राजपत्र, विनाय २६ जून २०१५			2290	
(1)	(2)	(3)	(1)		(2)	(3)
		Records (Regular),	Tahsil: Malhargarh 15. 1. Org. Vill.—Jhard		_	District : Mandsaur Superintendent of Land
	P.H.No.—09. Org. Vill.—Digaonmali New Vill.—Bardiakheri P.H.No.—48.	District—Mandsaur.	I	2. New Vill.—Chandan-khera P.H.No.—08.		Records (Regular), District—Mandsaur.
Tahsil : Seetamau		District : Mandsaur			rg. Vill.—Aramalia ew Vill.—Lorakhera	
5. 1.	Org. Vill.—Bhagor	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.	2		P.H.No.—53.	
	New Vill.—Kalyanpura H.No.—31.		Tahs	il : S	Shamgarh	District : Mandsaur
	Org. Vill.—Rahimgarh New Vill.—Chahakheri P.H.No.—41.			2. N ka	rg. Vill.—Baghunia ew Vill.—Surawat a dera H.No.—33.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.
	Org. Vill.—Khetakhera New Vill.—Raykhera P.H.No.—26.					ne of the Governor of Madhya Pradesh,
	. Org. Vill.—Chikala . New Vill.—Mamadev P.H.No.—32.				ASHO भोपाल, दिनांक 26	K GUPTA, Addl. Secy 5 जून 2013
	. Org. Vill.—Khatrukheri . New Vill.—Nayakhera P.H.No.—76.		1959	(क्र	मांक 20 सन् 1959) की	–मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता धारा 108 में निहित शक्तियं निर्देश देती है कि नीचे दी गः
Tahsil : Daloda		District : Mandsaur	अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके			
	. Org. Vill.—Chousla . New Vill.—Ramnagar	Superintendent of Land Records (Regular),			स्व ग्राम (मजरा) के र्ा ों द्वारा अधिकार अभिलेख	लिए कालम (3) में वर्णित तैयार किया जावे:—
P.H.No.—24.		District—Mandsaur.	अनुसूची			
[ahsi]	l : Suwasra	District : Mandsaur	तहसी	लि :	गोहद	जिला : भिण्ड
2 3 4	. Org. Vill.—Basai . New Vill.—Aaspura . New Vill.—Khardhamnya . New Vill.—Haripura .H.No.—01.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.	क्र. (1)	•	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं. (2)	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)
Tahsi	l : Bhanpura	District : Mandsaur	1.		मूल ग्राम—सर्वा	अधीक्षक, भू-अभिलेख
2	. Org. Vill.—Antralia . New Vill.—Ganeshpura	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.			नवीन ग्राम—धमसा का पुरा इ.नं. 22.	(नियमित), जिला भिण्ड.
13. 1	. Org. Vill.—Kaithuli . New Vill.—Bhimpura P.H.No.—47.		2.	1. 2.	मूल ग्राम—शेरपुर नवीन ग्राम—पटकुईयापुरा इ.नं. 17.	